



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001



दिनांक

आवक क्रमांक

फाइल संख्या

दिनांक

पत्र सं०-

सेवा में,

अधीक्षक अभियन्ता

गाजियाबाद वृत्त,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।

विषय:- सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-10 के अनुमोदित पुनरीक्षित ले-आउट में नियोजित विभिन्न प्रकार के 170 नग भूखण्डों का यू०पी० रेरा में पंजीकरण कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-2039/आर-11/124 दिनांक 28.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-10 के अनुमोदित पुनरीक्षित ले-आउट में नियोजित विभिन्न प्रकार के 170 नग भूखण्डों का यू०पी० रेरा में पंजीकरण कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार आवास आयुक्त (म०) द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-10 के अनुमोदित पुनरीक्षित ले-आउट में नियोजित विभिन्न प्रकार के 170 नग भूखण्डों का यू०पी० रेरा में पंजीकरण कराये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है:-

क्र. सं.	योजना/सेक्टर का नाम	सम्पत्तियों का प्रकार	भूखण्ड का साइज (वर्गमी० में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	स्वी० ले-आउट में प्राविधानित संख्या (नग में)	यू०पी० रेरा में पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भूखण्डों की सं० (नग में)
1	सिद्धार्थ विहार योजना,	आवासीय भूखण्ड (i)	6.00x12.00	72.00	56	56
		(ii)	7.50x15.00	112.50	101	101
2	गाजियाबाद सेक्टर-10	व्यवसायिक भूखण्ड (i)	10/CP-1	1832.81	01	01
		(ii)	10/CP-2	1376.44	01	01
		(iii)	10/CP-3	1065.64	01	01
		(iv)	10/CP-4	1043.16	01	01
		(v)	10/CP-5	488.18	01	01
		(vi)	10/CP-6	423.08	01	01
		(vii)	10/CP-7	418.17	01	01
		(viii)	10/CP-8	412.43	01	01
		(ix)	10/CP-9	406.89	01	01
		(x)	10/CP-10	401.43	01	01
		(xi)	10/CP-11	524.28	01	01
3		स्कूल भूखण्ड	10/SCH-01A	816.72	01	01
4		नर्सिंग होम	10/NH-01A	606.49	01	01
		कुल योग			170 नग	170 नग

उक्त अनुमति के क्रम में रेरा में पंजीकरण कराने हेतु आवास आयुक्त (म०) के आदेश सं०-5664/रेरा/लम्बित प्रकरण समीक्षा दिनांक 06.05.2025 द्वारा निर्गत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए रेरा की एस०ओ०पी० के अनुसार अपलोड किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों/सूचनाओं का सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता से विधिवत परीक्षण कराने के उपरान्त, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में समस्त वांछित प्रपत्र/सूचनाएं रेरा पोर्टल पर यथोचित स्थान पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(प्रदीप कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

दिनांक 06.06.2025

प्रो. 104/06/2025
वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

पृष्ठ सं० 6106

/उक्त/

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद को

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

A.E.I

00:2018



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुविद नियोजक

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम

नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, इंदिरा नगर,

लखनऊ-226016 Email ap5@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्र सं- 1305

/वा०नि०-5/रेरा/1(I)

दिनांक-02/05/2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, गाजियाबाद-02,

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

विषय:- सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-10 के अनुमोदित पुनरीक्षित ले-आउट में नियोजित विभिन्न प्रकार के भूखण्डों का यू०पी० रेरा में पंजीकरण कराने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-880/एम-14/116 दिनांक-22.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषद सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-10 के अनुमोदित पुनरीक्षित ले-आउट में नियोजित विभिन्न प्रकार के भूखण्डों का यू०पी० रेरा में पंजीकरण हेतु प्रस्तावित परियोजना के ले-आउट प्लान की वैधता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में:-

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2018 के प्रस्तर 2.1.5 एवं 3.1.5 के अनुसार ले-आउट प्लान में अंकित सम्पत्तियों की वैधता अवधि रेरा के पंजीकरण हेतु निर्गत की जा रही है।
2. मानचित्र वैधता अवधि दिनांक-28.04.2025 से दिनांक-27.04.2030 तक।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मुकेश कुमार रुहेला)

19/0 वास्तुविद नियोजक

दिनांक-02/05/2025

पृ० सं०- 1305

/ उक्त

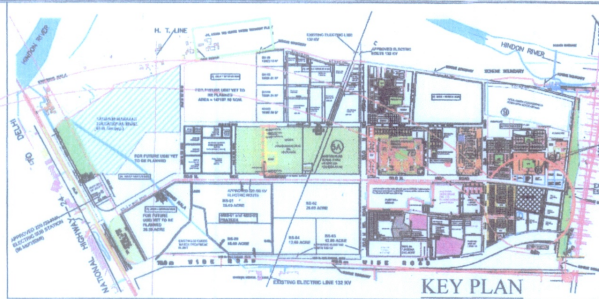
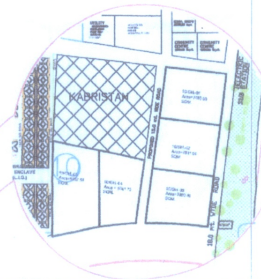
/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- (द्वारा मैसंज बोर्ड)

1. उप आवास आयुक्त, मेरठ जोन, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीनगर, मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-गाजियाबाद वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

19/0 वास्तुविद नियोजक

BRAHMPUTRA (L.I.G.)



ARCHITECTURE AND PLANNING
UNIT-5,
NEELGIRI COMPLEX, INDIRA NAGAR,
LUCKNOW.-226016

DRG. NO- UPHDB/APD/U-5/ENVY/628/SEC-10/REVISED LAYOUT PLAN
21/H.C. 23/1/25

NOTE :-

1. THIS LAY OUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF MEETING HELD ON 09.05.2024, 10.05.2024 AND 22.05.2024
2. THIS LAY OUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF FEASIBILITY RECEIVED FROM EX. EN C.D-GHAZIABAD-02 WIDE HIS LETTER NO.-1929/M-22/351 DATED-07.08.2024.
3. THIS LAY OUT PLAN HAS BEEN FINALIZED ON THE BASIS OF FEASIBILITY RECEIVED FROM EX. EN. C.D-GHAZIABAD-02 WIDE HIS LETTER NO.-2837/M-22/560 DATED-03.12.2024.

LAND USE OF SECTOR-10 (WITHOUT TLP ROAD)			
	AREA (M ²)	AREA (ACRE)	
TOTAL SECTOR AREA	64369.29	15.91	
KABRISTAN	21694.29	5.36	
NET SECTOR AREA	42675.00	10.55	
S.NO.	DESCRIPTION	AREA (M ²)	AREA (ACRE)
1	RESIDENTIAL	17975.63	4.44
2	COMMERCIAL	8392.54	2.07
3	SCHOOL	816.72	0.20
4	NURSING HOME	606.49	0.15
5	GREEN	3602.56	0.89
6	ROAD AREA	11281.06	2.79
TOTAL		42675.00	10.55

PLOTS DETAILS WITH CONSTRUCTION PARAMETERS						
(A) RESIDENTIAL PLOTS						
S. NO.	PLOT NO.	APPROX AREA (SQMT.)	NOS.	GR. COV. %	F.A.R.	HEIGHT (M.)
(i)	10/1 TO 10/56	72.00	56	PARAMETERS AS PER BUILDING BYE LAWS		
(ii)	10/57 TO 10/157	112.50	101			
TOTAL			157			
(B) COMMERCIAL PLOTS						
S. NO.	PLOT NO.	AREA (SQMT.)	NOS.	GR. COV. %	F.A.R.	HEIGHT (M.)
(i)	10/CP-1	1832.81	1			
(ii)	10/CP-2	1376.44	1			
(iii)	10/CP-3	1065.64	1			
(iv)	10/CP-4	1043.15	1			
(v)	10/CP-5	488.18	1			
(vi)	10/CP-6	423.08	1			
(vii)	10/CP-7	418.17	1			
(viii)	10/CP-8	412.43	1			
(ix)	10/CP-9	406.89	1			
(x)	10/CP-10	401.43	1			
(xi)	10/CP-11	524.29	1			
TOTAL			11			
(C) FACILITIES						
S. NO.	PLOT NO.	AREA (SQMT.)	NOS.	GR. COV. %	F.A.R.	HEIGHT (M.)
(i)	SCHOOL PLOT 10/SCH-01A	816.72	1	40	1.20	AS PER BUILDING BYE LAWS
(ii)	NURSING HOME PLOT 10/NH-01A	606.49	1	35	1.50	AS PER BUILDING BYE LAWS
TOTAL			2			

NOTE:-

1. SET BACKS SHOWN AS PER LAYOUT PLAN.
2. PARKING AND OTHER NORMS SHALL BE AS PER UPVIDH-1 2016/ N.B.C.

LEGEND :-

RESIDENTIAL
COMMERCIAL
FACILITIES
PARK/GREEN

निर्माण हेतु प्रमाणित
इकाई-5

SCHEME :-
SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD.
DRG. TITLE :-
REVISED LAYOUT PLAN OF SECTOR-10

DATE: 08.01.2025

NORTH :

SHIVBARAN RAM
DIP CIVILKRISHNA KANT
DIP. ARCHT.
ASSTT. ARCHITECT PLANNERMUKESH KUMAR RUHELA
B.Arch. (M. Plan) (Housing)
ARCHITECT PLANNERSANJEEV KASHYAP
B.Arch. (M. Plan) (ENVIRONMENTAL PLANNING)
ASSTT. P.
SENIOR ARCHITECT PLANNER

CHIEF ARCHITECT PLANNER

DR. BALKAR SINGH
A.S.
AVAS AYUKT

8 JAN 2025

23-01-25

1. भवन निर्माण एवं विकास उप-वर्ग-2016 के प्रस्तर 2.1.5 एवं 3.1.2 के अनुसार सिविल विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-10 के ले-आउट में अंकित सम्पत्तियों की वैधता अवधि सेत पंजीकरण हेतु निर्गत की जा रही है।
2. मानचित्र वैधता अवधि दिनांक:- 28-4-2025 से दिनांक:- 27-4-2030 तक।
3. सम्पत्तियों जिनका ररा के अन्तर्गत वैधता अवधि बंद हो जायेगी:-

महोदय वास्तुविद नियोजक

वास्तुविद नियोजक

मुख्य वास्तुविद नियोजक

24.0 M. WIDE ROAD

COMMUNITY CENTRE

H.T. LINE

33/11 KV UP

GREEN BELT

KABRISTAN

EXISTING ROAD

15.0 M WIDE ROAD

EXISTING ROAD

15.0 M WIDE ROAD

75 M WIDE ROAD

TO NH-58